

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/406/
प्रति,

105

भोपाल, दिनांक 09/10/2013

✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वनोपज नीलाम में बयाने (EMD) की राशि चैक द्वारा स्वीकार किये जाने की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/2114/1596/2013/10-3
भोपाल दिनांक 07.10.2013

—0—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 406 वीं बैठक दिनांक 07-05-2013 (अ.प्र.मु. व.सं. उत्पादन के विषय क्रमांक-05) में वित्त विभाग की सहमति उपरांत वनोपज नीलाम में बयाने (EMD) की राशि चैक द्वारा इस शर्त पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाती है की "प्रश्नाधीन प्रकरण में चेक से बयाने (EMD) की राशि भुगतान (Confirmation) सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लॉट मुक्त किया जायेगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार



(बी.बी.सिंह)

पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/406/

भोपाल, दिनांक

/10/2013

प्रतिलिपि :-

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 07-05-2013 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ताक्षर
पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

उपरोक्त निवेदन
व्यवहारी श्री कुंजराव
15/10/13
अ.प्र.मु.व.सं.उत्पा.
10.10